(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जुलाई, 1993 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में "सेवन फोल्ड इन्क्रीज इन यू. एस. आर्म्स एक्सपोर्ट्स टु पाकिस्तान" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि गत वर्षों में अमरीका द्वारा पाकिस्तान की सैन्य शक्ति के विस्तार में भारी सहयोग प्रदान किया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अमरीका के इस कार्य से शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा जिसकी वजह से शांति के लिये खतरा उत्पन्न हो सकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में अमरीकी सरकार के साथ बातचीत की है; और

(ङ) यदि हां, तो यह बातचीत कब की गई और इस मामले में उसकी प्रतिक्रिया क्या थी ?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रेसलर संशोधन को ध्यान में रखते हुए अमरीका की सरकार फिलहाल पाकिस्तान को सैन्य उपकरणों के अतिरिक्त पुर्जों की वाणिज्यिक बिक्री के लिए ही निर्यात लाइसेंस देती है और पाकिस्तान को प्रमुख शस्त्र प्रणालियां हस्तान्तरित करने के लिए अमरीकी सैन्य सहायता अभी स्थगित है। तथापि, सरकार पाकिस्तान को विदेशों से हथियार हासिल होने के प्रभावों के प्रति सजग रहती है ताकि क्षेत्र में शान्ति और स्थायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(घ) जी, हां।

(ङ) सरकार ने अनेक अवसरों पर अमरीका को अपनी इस चिन्ता से अवगत कराया है कि पाकिस्तान अमरीका और अन्य देशों से इतनी अधिक मात्रा में प्रमुख शस्त्र प्रणालियां ले रहा है जो पाकिस्तान की वैध रक्षा आवश्यकताओं से अधिक है। सरकार ने यह बात दोहराई है कि पाकिस्तान ने विगत में इन हथियारों का प्रयोग भारत के विरुद्ध किया है और इसलिए यह मामला भारत के लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है। अमरीकी सरकार के अनुसार प्रेसलर संशोधन के प्रावधानों के अन्तर्गत पाकिस्तान को अमरीकी सैन्य सहायता अभी स्थगित है।

Physical Assault on Housemaids Working in Gulf Countries

2777. DR. YELAMANCHILI SIVAJI : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that complaints of physical assault on housemaids of Indian origin working in various posts in United Arab Emirates are on the increase;

(b) if so, the number of housemaids working and the number of such complaints received during the last two years, year-wise;

(c) whether it is a fact that such incidents have come to the notice of UAE Government; and

(d) what steps are being taken to help these harassed housemaids ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA) : (a) and (b) Since there is no system of registration of housemaids after their entry in the UAE, it is not possible to give the exact number for the Indian housemaids working in that country. However, an indication of their number can be had from the number of housemaids' work contracts attested by the Missions in the UAE in the last three years :

1990—992

1991—874

1992—714

Complaints of physical assault of housemaids are very few. Number of such complaints received during the last two years is being ascertained and the information required will be placed on the Table of the House.

(c) and (d) As soon as a complaint of physical assault is received by our Missions in the UAE, immediate steps are taken to contract the concerned UAE authorities with a view to afford justice to the aggrieved housemaid. In case the housemaid desires to return to India, the Mission facilitates her return after obtaining her dues and air ticket from the sponsor.

"दक्षेस" में भारत की भूमिका

2778 श्री अजीत जोगी :
श्री चौधरी हरि सिंह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "दक्षेस" को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए भारत द्वारा क्या नई भूमिका निभाने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : भारत दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण संवर्धन के उद्देश्य से क्षेत्रीय सहयोग के साधन के रूप में सार्क के प्रति वचनबद्ध है और तदनुसार सार्क क्रियाकलापों में मुक्त सहयोग के माध्यम से अन्य सदस्य राष्ट्रों के साथ अपना विशेष ज्ञान और जानकारी सदैव बांटी है। हमारे